

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: प.1(2)(33)मअ/स्था/2017/

93843
आदेश

जयपुर, दिनांक


7/8/18

निम्नलिखित कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र स	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्रीमती रोशन देवी चौधरी, प्रचेता म.अ. जिला जयपुर	06.07.1949	31.07.2009
2	श्रीमती सावित्री शर्मा, प्रचेता म.अ. जिला जयपुर	10.06.1940	30.06.1998
3	श्रीमती तारा बाई राजपूत, प्रचेता म.अ. जिला जयपुर	28.02.1952	29.02.2012
4	श्रीमती भारती तैलंग, प्रचेता म.अ. जिला राजसमंद	08.07.1953	31.07.2013
5	श्रीमती अरुणा गुप्ता, प्रचेता म.अ. जिला अजमेर	11.08.1953	31.08.2013
6	श्रीमती कमला पुरोहित, प्रचेता म.अ. जिला जोधपुर	28.09.1952	30.09.2012
7	श्री प्रेमसिंह तंवर, कनिष्ठ लिपिक म.अ. जिला अजमेर	10.03.1958	31.03.2018
8	श्री लादूसिंह शक्तावत, कनिष्ठ लिपिक, म.अ. जिला भीलवाडा	15.02.1958	28.02.2018
9	श्री बसंती लाल राव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला भीलवाडा	10.08.1958	31.08.2018
10	श्री सोयब अहमद कुरैशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला झुंजरपुर	09.05.1958	31.05.2018
11	श्रीमती यशोदा देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला अजमेर	02.06.1955	30.06.2015
12	श्रीमती शांति देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला वांसवाडा	21.02.1955	28.02.2015
13	श्री देवीलाल भाम्बी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला भीलवाडा	29.07.1956	निधन दिनांक 04.08.2015
14	श्री शंकर गिरी गोस्वामी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, म.अ. जिला झुंजरपुर	24.07.1961	निधन दिनांक 21.10.1998
15	श्री दिनेश चंद्र माथुर, वाहन चालक, निदेशालय, म.अ.	16.05.1957	31.05.2017
16	श्री हडमत सिंह, वाहन चालक, म.अ. जिला उदयपुर	22.02.1954	28.02.2014

उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है। इन कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है। इनके कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्देश दिये जाते हैं कि नियुक्ति संबंधित समस्त दस्तावेज एवं पेंशन कुलक भरकर दो प्रतियों में संबंधित कार्यालयध्यक्ष को प्रस्तुत करें।



(निशा मीना)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक: प.1(2)(33)मअ/स्था/2017/ 93844-883 जयपुर, दिनांक 7/8/18

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

03.06.18

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, वित्त भवन जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता जयपुर।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (मअ) महिला अधिकारिता जयपुर।
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, महिला अधिकारिता जयपुर।
7. संबंधित कर्मचारी. सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) म.अ., मुख्यालय को विभागीय साईट पर अपलोड करने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।


सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता